UPSN010016432017

Presented on : 16-08-2017
Registered on : 16-08-2017
Decided on : 07-08-2026
Duration : 8 years, 11 months, 22 days

IN THE COURT OF
Special Judge SC/ST Pev. of Atrocities Act Bhadohi
AT ,Bhadohi
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)
Complaint Cases No.55/2017

लल्लन उर्फ नन्दलाल, उम्र त० 60 वर्ष, पुत्र कालूराम, निवासी जुड़ापुर, जमुनीपुर, अठगवां उर्फ मोढ़, थाना भदोही, जिला भदोही। .....परिवादी।

बनाम

1. श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, उम्र त० 45 वर्ष, पुत्र होरीलाल यादव,
2. धर्मराज यादव, उम्र त० 47 वर्ष, पुत्र होरीलाल यादव,
3. उमाशंकर, उम्र त० 40 वर्ष, पुत्र होरीलाल यादव,
   निवासीगण दुमदुमा, जमुनीपुर अठगवां उर्फ मोढ़, थाना भदोही, जिला भदोही।
4. छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू, उम्र त० 58 वर्ष, पुत्र लक्षिमन मौर्य, निवासी जमुनीपुर, कजिया उर्फ मोढ़, थाना भदोही, जिला भदोही। .....अभियुक्तगण।

धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना भदोही, जिला भदोही।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण, परिवादी लल्लन उर्फ नन्दलाल द्वारा प्रस्तुत परिवाद संख्या 55/2017 में तलबी आदेश दिनांकित 07.09.2018 द्वारा धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी.एक्ट में विचारण हेतु तलब किये गये अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू से संबंधित है, जिनके विरूद्व न्यायालय ने दिनांक 05.03.2022 को धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10) एस.सी./ एस.टी. एक्ट का आरोप विरचित किया और अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू का विचारण धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट में किया गया है।

2. परिवादी लल्लन उर्फ नन्दलाल द्वारा दिनांक 16.08.2017 को परिवाद संख्या–55 सन् 2017 प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद में परिवादी का कथन है कि विपक्षीगण

उपरोक्त प्रार्थी के लड़के से दो आवास देने हेतु मु० 60,000/–रूपये सन् 2013 में बहला फुसला कर ले लिये। उसका लड़का बराबर आवास के लिये विपक्षीगण से आग्रह करता रहा, परन्तु विपक्षीगण हीला हवाली करते रहे और प्रार्थी से रंजिश रखने लगे। प्रार्थी जाति का हरिजन चमार है और विपक्षीगण जाति के यादव व मौर्या है और रूपये पैसे वाले है तथा सीनाजोर व सरहंग किस्म के दबंग व्यक्ति है। प्रार्थी दिनांक 30.07.2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन में अपने घर के सामने अपनी किराना की दुकान पर बैठा था कि विपक्षी श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू यादव मेरे लड़के अर्जुन से मुझे अपने यहां बुलवाये और मेरे लड़के से यह धमकी देते हुये कहे कि तेरा बाप लल्लन नहीं आया तो मैं आकर उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा और वह चलने फिरने लायक नही रहेगा। प्रार्थी डरवश विपक्षी श्यामराज के पास उसी दिन तुरन्त गया, विपक्षी श्यामराज यादव उसे देखते ही मादरचोर, बहनचोद, भोसड़ी वाले की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और कहे कि साले चमार सियार की जाति, तुम बहुत बड़े दुकानदार बनते हो, हमसे जो पैसा लिये हो, अभी तक क्यों नही दिये। इस पर प्रार्थी ने कहा कि यादव जी मुझे आपने जो भी पैसा दिया था, उसका आप मुझसे सूद ब्याज दर सही जोड़कर करीब लाख–डेढ़ लाख रूपया ले चुके है, इस पर श्यामराज यादव नाराज हो गये और उसे मां बहन मादरचोद भोसड़ी वाले की भद्दी भद्दी गालियां देते हुये लात मुक्का व लाठी डण्डा से बुरी तरह मारने लगे, प्रार्थी अपनी जान बचाने हेतु शोर मचाने लगा, तब तक शेष अन्य विपक्षीगण धमर्राज यादव, उमाशंकर यादव व छोटेलाल उर्फ छोटकू मौर्य मौके पर आ गये, श्यामराज यादव ने ललकारते हुये कहा कि आज इस साले चमार को बांध लो, इतने में शेष मुल्जिमान धमर्राज यादव, उमाशंकर यादव, छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू ने प्रार्थी को जकड़कर पकड़ लिये और बैठा लिये। श्यामराज यादव तीन चार सादा पेपर मंगवाया और एक स्टाम्प पेपर, जिस पर जबरदती प्रार्थी को डरा धमका कर उसका हस्ताक्षर ले लिये और अपने मोबाइल से उसका फोटो भी खींच लिये और जिस सादे कागज और स्टाम्प पर विपक्षी उसका हस्ताक्षर जबरदस्ती कराये, उसी पर वहां पर उपस्थित व्यक्तियों का भी बतौर गवाह के रूप में हस्ताक्षर कराये, उसके बाद उसे फिर हाथ थप्पड़ से मारते हुये कहे कि जाओ साले, अगर तुम मेरे खिलाफ कही दरख्वास्त दिया, तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। उक्त घटना के समय उसके पास पड़ोस के भी लोग पहुँच गये थे। घटना के तत्काल बाद प्रार्थी अपने लड़के के साथ पुलिस थाना भदोही गया और उक्त घटना की मौखिक तौर पर सूचना दिया। पुलिस थाना भदोही उसे व उसके लड़के को शाम तक थाने पर बैठाये रहे, परन्तु विपक्षीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही किये, तब प्रार्थी घटना के सम्बन्ध में लिखित दरख्वास्त पुलिस

अधीक्षक, भदोही व पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के खिलाफ दिये गये प्रार्थनापत्र की जानकारी जब उन्हें हुयी, तो विपक्षीगण नाराज हो गये और वह उत्तेजित भाव में आकर एक साथ एक राय होकर दिनांक 08.08.2017 को समय करीब 5.00 बजे शाम हाथ में लाठी डण्डा व लाइसेंसी बंदूक तथा पिस्टल लिये उसके दरवाजे पर चढ़ आये और उसे मां बहन तथा मादरचोद, भोसड़ी वाले की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और कहे कि साले चमार सियार की जाति, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुयी, हम लोगो के खिलाफ दरख्वास्त देने की, तब प्रार्थी हाथ जोड़कर विपक्षीगण से कहा कि यादव जी हम आपका क्या बिगाड़े है, आप हमारे जान के पीछे क्यों पड़े है, इस पर श्यामराज यादव ने ललकराते हुये कहा कि मारो साले को जान से, यह चमार सियार की जाति साला बहुत बोलता है और नेता बनता है, इस पर सभी विपक्षीगण उसे लात मुक्का, थप्पड़ व डण्डे से बुरी तरह मारने लगे। शोर पर उसके दोनों लड़के अर्जुन व बबलू उसे बचाने आये, तो विपक्षी श्यामराज यादव ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से उसके लड़के के तरफ लक्ष्य बनाकर फायर करते हुये कहा कि अगर कोई भी साला लल्लन को बचाने की कोशिश करेगा, तो आज हम लोग उन लोगो को जान से मारकर खत्म कर देगे। प्रार्थी व उसका लड़का विपक्षीगण से किसी तरह बचकर अपनी जान बचाने हेतु अपने घर के अन्दर भागा कि सभी विपक्षीगण जबरदस्ती उसके घर के अन्दर घुस गये और पुनः विपक्षीगण उसे व उसके लड़के व उसकी पत्नी को लात मुक्का व थप्पड़ से मारने पीटने लगे। विपक्षीगण के दहशत व लाइसेंसी असलहे से फायर करने के कारण मौके पर उपस्थित लोग, जो घटना के चश्मदीद साक्षी थे, किसी भी व्यक्ति की बीच बचाव करने की हिम्मत नही हुयी। विपक्षीगण घर में घुसकर मारने पीटने के बाद मनमानी तौर पर घर में रखे सामानों को तोड़ फोड़ दिये और किराना की दुकान में रखे सामानों को तितर बितर करके दस हजार रूपये का नुकसान कर दिये और दुकान में रखे बाक्स में से चार पांच हजार रूपये जबरदस्ती लूट लिये और विपक्षी धर्मराज यादव एक टीना सरसों का तेल जबरदस्ती उठा ले गये तथा विपक्षीगण उमाशंकर यादव व छोटेलाल मौर्य उसके दुकान में रखे डालडा घी के एक एक किलो के लगभग पन्द्रह पाउच उठा ले गये। इस तरह से विपक्षीगण कुल बीस हजार रूपये का नुकसान किये। विपक्षीगण घटना को अंजाम देने के बाद धमकी दिये कि साले चमार सियार की जाति, यदि तुम लोग हम लोगो के खिलाफ कही दरख्वास्त दिये या मुकदमा कायम कराये, तो जान से मार डालूंगा। विपक्षीगण के दहशत व रवैया से कोई आवाज उठाने की हिम्मत नही करता है। प्रार्थी अपने लड़के व पत्नी को लेकर थाने पर गया और घटना की सूचना दिया, किन्तु थाना पुलिस द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व कोई रिपोर्ट दर्ज नही की गयी और न ही

चोटहिलों का डाक्टरी मुआयना कराया गया। प्रार्थी घटना की लिखित सूचना जरिए डाक पुलिस अधीक्षक, भदोही व पुलिस उच्चाधिकारियों को दिया, किन्तु विपक्षीगण के विरूद्व कोई कार्यवाही नही हुयी, तो उक्त परिवाद–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। परिवादी के उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर करने का आदेश पारित करते हुये परिवादी के बयान धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त परिवाद में परिवादी ने धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत स्वयं को तथा धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत साक्षी पी.डब्लू. 1 अर्जुन प्रसाद, पी.डब्लू. 2 बबलू एवं पी०डब्लू०–3 प्रकाश को परीक्षित कराया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर व छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू को तलबी आदेश दिनांकित 07.09.2018 से धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10)एस.सी./एस.टी.एक्ट में विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त धाराओं में अपनी–अपनी जमानते करायी।

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर व छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू के विरूद्व दिनांक 05.03.2022 को धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट का आरोप विरचित किया है, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार कर परीक्षण की मांग किया।

4. प्रस्तुत प्रकरण परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का संपूर्ण विवरण प्रारुप में निम्नवत है–

साक्षी	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का विवरण**	**साबित प्रपत्र**
PW 1.	लल्लन उर्फ नन्दलाल	वादी मुकदमा/ पीड़ित	परिवादपत्र–**प्रदर्श क–1** मुख्यमंत्री,उ०प्र० शासन, लखनऊ को दिये गये पत्र–**प्रदर्श क–2** रजिस्ट्री रसीद–**प्रदर्श क–3** पुलिस अधीक्षक, भदोही को प्रेषित पत्र– **प्रदर्श क–4** रजिस्ट्री रसीद –**प्रदर्श क–5** जन सुनवाई आवेदनपत्र की पावती –**प्रदर्श क–6** महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर की पांच किता पर्चो की मूलप्रति– **प्रदर्श क–7** तीन किता फोटोग्राफ– **प्रदर्श क–8**

5. अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 03.08.2026 को अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप को गलत होना तथा साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य को झूठा होना एवं मुकदमा रंजिशन चलना कहा है तथा कोई सफाई साक्ष्य नही दी गयी है एवं अपने अतिरिक्त कथन में कहा कि अभियुक्त श्यामराज से परिवादी ने कुछ रूपया उधार लिया था, उसी का तकादा करने पर झूठी कहानी

बनाकर परिवादपत्र दाखिल किया गया है।

6. मैंने परिवादी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का गहन परिशीलन किया।

7. अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर व छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू पर धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट का आरोप लगाया गया है। भा.दं.सं. की धारा **323** स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध के दण्ड का प्रावधान करती है। भा.दं.सं. की धारा **504** लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय़ अपमान के अपराध का दण्ड प्रावधानित करती है। भा.दं.सं. की धारा **506** आपराधिक अभित्रास का दण्ड प्रावधानित करती है। **धारा–3(1)(10)** एस.सी./एस.टी. एक्ट यह जानते हुये कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के अपराध के दण्ड का प्रावधान करती है।

8. इस प्रकार परिवादी को यह साबित करना है कि दिनांक 30.07.2017 को समय 11.00 बजे दिन में अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर व छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू ने वादी मुकदमा को अपने यहां बुलवाये तथा उसे लात मुक्का व लाठी डण्डा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, उसे मां बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी, उसे यह जानते हुये कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, जाति सूचक गालियां दी। तत्पश्चात दिनांक 08.08.2017 को समय करीब 5.00 बजे शाम वादी के घर पर आकर उसे गाली गलौज, जाति सूचक गाली देते हुये लाठी डण्डा, लात घूसो से मारे पीटे, वादी के लड़के पर लाईसेंसी रिवाल्वर से फायर किये, वादी के घर में घुसकर उसकी पत्नी व लड़को को लात घूसा से मारे पीटे।

9. अब न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम इस प्रकरण की घटना की तिथि तथा समय पर विचार किया जायेगा। वादी **लल्लन उर्फ नन्दलाल पी०डब्लू०–1** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 30.07.2017 की समय 9.10 बजे की है।...घटना दिनांक 08.08.2017 को सुबह 5–00 बजे की है।...मै सी०ओ० को प्रार्थनापत्र दिया, मेरी कोई सुनवाई नही हुयी, तब मैं थक हार करके माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। गवाह को मुकदमे का प्रार्थनापत्र दिखाया गया। कागज संख्या 3 क/1 लगायत 3 क/6 को दिखाया गया, उस पर लगे अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6 ख/2 दिखाया गया, तो

गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6 ख/3 जिसमें गवाह ने अपने हस्ताक्षर को देखकर कहा कि ये वही रजिस्ट्री रसीद है, जो मैने स्पीड पोस्ट किया था, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया तथा कागज संख्या 6 ख/4 पुलिस अधीक्षक का प्रार्थनापत्र दिखाया गया, जिसको देखकर गवाह ने कहा कि इस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा कागज संख्या 6 ख/8 रजिस्ट्री रसीद जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया तथा जन सुनवाई रसीद कागज संख्या 6 ख/9 पर प्रदर्श क–6 डाला गया तथा महाराजा चोतसिंह में जो मैने इलाज कराया था, उसकी डाक्टरी रसीद कागज संख्या 6 ख/10 लगायत 6 ख/14 जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न मकान के क्षतिग्रस्त फोटोग्राफ कागज संख्या 6 ख/15 लगायत 6 ख/17 जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। पत्रावली में गवाह को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिखाया गया, तो गवाह ने कहा कि मैने न्यायालय में बयान दिया है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। घटना की तिथि व समय के संदर्भ में बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। अतः वादी द्वारा दोनों घटनाओं की तिथि दिनांक 30.07.2017 की समय 9.10 बजे तथा दिनांक 08.08.2017 को सुबह 5.00 बजे होना साबित किया है।

10. अब मेरे द्वारा इस प्रकरण के घटनास्थल पर विचार किया जायेगा। इस प्रकरण में परिवादपत्र में वादी द्वारा मुख्यतः दो घटनाएं बतायी गयी है। पहली घटना विपक्षी श्यामराज के घर तथा दूसरी घटना वादी के घर पर होना कही गयी है। इस संदर्भ में वादी **लल्लन उर्फ नन्दलाल पी०डब्लू०–1** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 30.07.2017 की समय 9.10 बजे की है। मैं अभियुक्त श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू के यहां अपने लड़के अर्जुन को भेजा,...अपने लड़के धर्मेन्द्र व अजय से पैसा लेकर आवास के लिये दिया था।...घटना दिनांक 08.08.2017 को सुबह 5.00 बजे की है। मैं अपने किराना की दुकान पर बैठा था,...पत्रावली में संलग्न मकान के क्षतिग्रस्त फोटोग्राफ कागज संख्या 6 ख/15 लगायत 6 ख/17 जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। वादी ने न्यायालय में दिये अपने बयान में दिनांक 30.07.2017 की घटना के समय अभियुक्त श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू के यहां अपने लड़के अर्जुन को भेजना कहा है। दिनांक 08.08.2017 को सुबह 5.00 बजे की घटना के समय वादी के अपने किराना की दुकान पर होने का कथन किया है। वादी द्वारा अपनी कथित दुकान की तीन किता फोटो को अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत कर बतौर प्रदर्श क–8 साबित कराया है। घटनास्थल के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। अतः घटनास्थल साबित है।

11. अब न्यायालय द्वारा वादी को कारित चोटो के संदर्भ में विचार किया जायेगा। इस

प्रकरण में वादी ने विपक्षीगण द्वारा उसे, उसके लड़कों तथा उसकी पत्नी को लाठी डण्डे व लात मुक्का से मारा जाना कहा है। इस सम्बन्ध में वादी **लल्लन उर्फ नन्दलाल पी०डब्लू०–1** ने अपने बयान में कही भी अभियुक्तगण द्वारा उसे, उसके लड़कों तथा उसकी पत्नी को लाठी डण्डे व लात मुक्का से मारे जाने का कोई कथन नही किया है। यद्यपि वादी द्वारा महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर के पांच किता पर्चों की मूलप्रति को बतौर **प्रदर्श क–7** प्रस्तुत किया है, परन्तु उन पर्चो को किसी भी चिकित्सक साक्षी को तलब कर साबित नही कराया गया है। अतः वादी, उसके लड़कों तथा उसकी पत्नी को कारित चोटे साबित नही है।

12. अब न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया जायेगा कि क्या प्रश्नगत अपराध अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू द्वारा किया गया है? इस संबंध में वादी **लल्लन उर्फ नन्दलाल पी०डब्लू०–1** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 30.07.2017 की समय 9.10 बजे की है। मैं अभियुक्त श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू के यहां अपने लड़के अर्जुन को भेजा, आवास का पैसा आया था, वही मैने उनको दिया था, आवास हमको मिला नही और न ही मेरा पैसा मिला, उसी पैसे को लेने के लिए मैने अपने लड़के को भेजा था, तब अभियुक्त श्यामराज उर्फ मखण्डू ने कहा कि पैसा मेरे पास नही है। जब आवास आयेगा तब आवास मिलेगा, अपने लड़के धर्मेन्द्र व अजय से पैसा लेकर आवास के लिये दिया था। मैं जाति का चमार हूं और अभियुक्त यादव है। मुझे मां बहन की भद्दी भद्दी गाली दिये थे। घटना दिनांक 08.08.2017 को सुबह 5–00 बजे की है। मैं अपने किराना की दुकान पर बैठा था, इतने में अभियुक्तगण छोटेलाल, धर्मराज व शमराज उर्फ मखण्डू व उमाशंकर ये लोग कहे कि पुरानी वाली घटना का एस०पी० साहब के यहां दरख्वास्त दिया था, उसी को लेकर मां बहन की भद्दी भद्दी गाली दिये, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये और मेरे गल्ले में से चार–पांच हजार रूपये पैसा था, अभियुक्तगण ले गये। मेरे गुल्लक में से चार–पांच हजार रूपये निकाल ले गये। मेरे दुकान में पाउच वाले घी व टीना वाला तेल निकाल लिये और दुकान का सामान फेककर क्षतिग्रस्त किये। अभियुक्तगण द्वारा उक्त कृत्य करने पर आस पास के लोग इकट्ठा हो गये और बीच बचाव किये। अभियुक्तगण जाते समय कहे कि अब कही दरख्वास्त दिये, तो जान से मार देंगे। मै सी०ओ० को प्रार्थनापत्र दिया, मेरी कोई सुनवाई नही हुयी, तब मैं थक हार करके माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। गवाह को मुकदमे का प्रार्थनापत्र दिखाया गया। कागज संख्या 3क/1 लगायत 3 क/6 को दिखाया गया, उस पर लगे अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न

कागज संख्या 6 ख/2 दिखाया गया, तो गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6 ख/3 जिसमें गवाह ने अपने हस्ताक्षर को देखकर कहा कि ये वही रजिस्ट्री रसीद है, जो मैने स्पीड पोस्ट किया था, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया तथा कागज संख्या 6 ख/4 पुलिस अधीक्षक का प्रार्थनापत्र दिखाया गया, जिसको देखकर गवाह ने कहा कि इस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा कागज संख्या 6 ख/8 रजिस्ट्री रसीद जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया तथा जन सुनवाई रसीद कागज संख्या 6 ख/9 पर प्रदर्श क–6 डाला गया तथा महाराजा चोतसिंह में जो मैने इलाज कराया था, उसकी डाक्टरी रसीद कागज संख्या 6 ख/10 लगायत 6 ख/14 जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न मकान के क्षतिग्रस्त फोटोग्राफ कागज संख्या 6 ख/15 लगायत 6 ख/17 जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। पत्रावली में गवाह को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिखाया गया, तो गवाह ने कहा कि मैने न्यायालय में बयान दिया है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिरह में साक्षी का कथन है कि दिनांक 30.07.2017 को श्यामराज उर्फ मखण्डू के यहां अपने लड़के अर्जुन को पैसे के लिए भेजा था, कहा कि मेरे पास पैसे नही है। दिनांक 08.08.2017 को सुबह 5.00 बजे मेरे दुकान पर छोटेलाल, धर्मराज, श्यामराज उर्फ मखण्डू व उमाशंकर आये और कुछ बातचीत करने लगे, बातचीत के दौरान शोर शराबा सुनकर आस पास के बहुत से लोग इकट्ठा हो गये। किसी ने ईंट पत्थर फेक दिया, जिससे भगदड़ मच गयी, किसी ने लाठी डण्डा से मारा पीटा, किसी ने चमार सियार कह कर अपमानित किया तथा किसी ने मां बहन की भद्दी भद्दी गाली दिया तथा किसी ने जान से मारने की धमकी दिया, ऐसे व्यक्ति को ना मैने देखा और न ही पहचानता हूं और न ही जानता हूं। अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज, उमाशंकर व छोटेलाल मौर्या ने न तो मारा पीटा था और न ही गाली गुप्ता दिये थे और न ही जान से मारने की धमकी दिये थे और न ही सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दो से अपमानित किये थे। आज जो बयान दे रहा हूं, वह सही दे रहा हूं और पूर्व के बयान लोगो के कहने पर दिया था।...न्यायालय के बाहर वादी व अभियुक्तगण के बीच सुलह समझौता हो गया है।...यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण पैसे रसूख वालें व्यक्ति है, समाज में इनका भय व्याप्त है, इनसे नाजायज लाभ लेकर इन्हे बचाने के लिए न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूं। परिवादी द्वारा न्यायालय में मात्र स्वयं को परीक्षित कराया है, शेष साक्षीगण को प्रस्तुत न करके उन्हें उन्मोचित करा लिया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा स्वयं परिवाद कथानक का समर्थन नही किया गया है। किसी चक्षुदर्शी एवं चोटहिल साक्षी को भी उसके द्वारा परीक्षित नही

कराया गया है। इससे प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू की संलिप्तता संदिग्ध हो जाती है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा न तो स्वयं परिवाद कथानक का समर्थन किया है और न ही किसी चक्षुदर्शी एवं चोटहिल साक्षी को उसके द्वारा परीक्षित कराया गया है। इससे प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू की संलिप्तता संदिग्ध हो जाती है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू को धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू जेरे जमानत आज न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण श्यामराज यादव उर्फ मखण्डू, धर्मराज यादव, उमाशंकर एवं छोटेलाल मौर्य उर्फ छोटकू प्रत्येक को निर्देशित किया जाता है कि वे आज से 7 दिन में, धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत मुबलिग बीस हजार रूपये की दो–दो जमानतें तथा इसी धनराशि के स्व बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत करें कि जब उन्हें इस निर्णय के विरूद्ध संस्थित अपील में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा तो वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

दिनांक–07.08.2026

(डॉ० अवनीश कुमार–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।
आई०डी० यू०पी० 1523

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–07.08.2026

(डॉ० अवनीश कुमार–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।
आई०डी० यू०पी० 1523

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.08.07 15:18:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court